पत्रांक-18/012 ग्रुप हा0/ विन्यास/ दिनांक 19/7/2018

परिशिष्ट–6

((प्रपत्र–'ब') पृष्ठ 4/4)

भाग–द

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र

मेसर्स रूद्रा रियल स्टेट लि0 बजरिये श्री आनन्द कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 अशोक कुमार अग्रवाल (डेवलपर्स) व श्री अजय कुमार खेतान पुत्र स्व0 जीवन लाल खेतान (भू–स्वामी) द्वारा आराजी संख्या–198, 199 व आराजी संख्या–43, मौजा–गंज व मौजा–मवईयां, परगना–शिवपुर, वार्ड–सारनाथ, वाराणसी पर समूह आवास भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण–पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता, श्री गौरीशंकर, सहायक अभियन्ता, श्री एम0एन0 अंसारी तथा सहायक नगर नियोजक, श्री मनोज कुमार द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र परमिट संख्या–सा0 18/2012ग्रु0हा0/कम्पा0/विन्यास दिनांक 03.02.18 के अनुरूप सही पाया गया है। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, वाराणसी तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 17.07.18 के क्रम में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15क(2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त मानी जायेगी। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति पत्र संख्या–एसटी/एफएस/आई–3(सी)/2018 दिनांक 28 अप्रैल, 2018 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :–

1. **मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, वाराणसी।**
   प0सं0–एसटी/एफएस/आई–3(सी)/2018
   दिनांक 28.04.2018
2. **आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इन्जी0 का प्रमाण–पत्र।**

हस्ताक्षर. :

पदनाम : जोनल अधिकारी